संचालनालय कृषि
छत्तीसगढ़ रायपुर
फोन : 0071–2443504 (कार्या.)
फैक्स : 0771–2442018

क्रमांक /कृ.यां./II-23/2008-09/100 रायपुर, दिनांक : 13.01.09

विज्ञापन

शक्ति चलित कृषि मशीनों/यंत्र/उपकरणों के परीक्षण हेतु सूचना

कृषि विभाग की विभिन्न अनुदान योजनाओं के अंतर्गत वितरित किये जाने वाले शक्ति चलित यंत्र, जो आई.एस.आई. मार्का नहीं हैं तथा स्थानीय तौर पर निर्मित होते हैं अथवा राज्य में कृषकों के बीच प्रचलित हैं, के निर्माताओं/प्रदायकों से इन यंत्रों के परीक्षण हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। परीक्षण कार्य हेतु निर्धारित शर्ते एवं आवेदन–पत्र कार्यालयीन समय में कृषि यंत्री रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट www.agridept.cg.gov.in से भी आवेदन पत्र डाउनलोड किये जा सकते है।

यंत्रों के परीक्षण उपरांत परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर संचालनालय स्तर पर यंत्रों के प्रदायकों का पंजीयन किया जा सकेगा। इच्छुक निर्माता/प्रदायक तीनों में से किसी एक कृषि यंत्री कार्यालय में परीक्षण हेतु आवेदन दे सकते हैं।

संचालक कृषि
छ.ग. रायपुर

स्थानीय तौर पर निर्मित अथवा प्रचलित नान आई.एस.आई मार्का शक्ति चलित कृषि यंत्रों/मशीनों का विभागीय समिति द्वारा परीक्षण कराये जाने हेतु निर्माता/प्रदायकों के लिये आवेदन–पत्र

प्रति,

कृषि यंत्री,

....

परीक्षण शुल्क रू. .... बैंक ड्राफ्ट / रसीद का विवरण ....

1. शक्ति चलित कृषि यंत्र जिसका परीक्षण कराया जाना है : ....
परीक्षण कराये जाने हेतु यंत्र का नाम उल्लेखित करें
प्रत्येक यंत्र हेतु पृथक–पृथक राशि रू. 1000 / – प्रति
यंत्र की दर से देय होगी। जो कि वापस नहीं की जावेगी।
2. आवेदक का नाम व पता (दूरभाष / मोबाईल क्र. सहित) : ....
(a) पता : ....
(i) मोबाईल : ....
(ii) फोन : ....
(iii) ई–मेल : ....
(b) व्यापार का स्थान पूर्ण पते के साथ : ....
(i) निर्माण के लिये : ....
(ii) विक्रय के लिये : ....
(iii) भण्डार के लिये : ....
3. आवेदक स्वयं निर्माता है अथवा प्रदायक : ....
4. (i) यदि प्रदायक है तो परीक्षण की जाने वाली सामग्री : ....
के निर्माता का नाम व पता ....
(ii) परीक्षण हेतु निर्माता द्वारा जारी की गई सहमति : ....
पत्र क्रमांक व दिनांक ....
5. पंजीयन हेतु सामग्री का विवरण : ....

स.क्र.	मशीन / यंत्र का नाम	ब्रांड	माडल	स्पेसिफिकेशन (इंजीनियरिंग ड्राईंग सहित)
1.				
2.				
3.				

7. आवेदक (फर्म) का C.S.T. क्रमांक / T.I.N .क्रमांक / : ....
8. इस आवेदन में उल्लेखित यंत्रों का क्या अन्य किसी
कृषि यंत्री कार्यालय में भी परीक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत
किया गया है ? यदि हां तो विवरण दें।
9. यंत्र / मशीन का कार्य एवं उसकी विशेषतायें : ....
10. क्या मशीन के सभी पुर्जे स्वदेशी है ? हॉ / नहीं : ....
11. यदि पुर्जे विदेशी है तो आयतित पुर्जो की सूची : ....
12. क्या प्रस्तावित यंत्र / मशीन का परीक्षण पूर्व में भारत : हॉ / नहीं
अथवा विदेश में किया गया है ?
(यदि हॉ तो परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न करें)
13. आवश्यकतानुसार अधिकृत व्यक्ति की पावर ऑफ एटार्नी : ....
14. निर्माता / प्रदायक को अन्य राज्य में अथवा छ.ग. राज्य में : ....
प्रतिबंधित किया गया है तो उसका विवरण दिया जावे।
15. परीक्षण कार्य के समय यदि कोई प्रतिनिधि रखा जाना : ....
है तो उसका विवरण दूरभाष क्रमांक सहित दिया जावे।
16. अन्य विवरण (यदि हों तो) : ....

निर्माता / प्रदायक के हस्ताक्षर एवं सील

<u>घोषणा–पत्र</u>

मैं/हम शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सही है एव परीक्षण हेतु भाग–2 में उल्लेखित सभी विभागीय शर्ते मुझे/हमें स्वीकार्य है।
स्थान : ....
दिनांक : ....

निर्माता/प्रदायक के हस्ताक्षर एवं सील

संलग्नकों की सूची :

1. यंत्र की इंजीनियरिंग ड्राइंग तीन प्रतियों में।
2. यंत्र के विभिन्न अवयवों के Material of Construction की सूची। (आवश्यकतानुसार)
3. प्रोटो टाईप यंत्र।
4. आवश्यकतानुसार यंत्र का आपरेटर्स मैन्युअल/तीन प्रतियों में।

स्थानीय तौर पर निर्मित अथवा प्रचलित नान आई.एस.आई. मार्का शक्ति चलित कृषि यंत्रों/मशीनों का विभागीय समिति द्वारा परीक्षण कराने हतु निर्माता/प्रदायकों के लिए नियम व शर्ते :–

1. आवेदक कृषि यंत्री रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर में से किसी भी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यंत्र का परीक्षण कार्य सीजन में 1 माह के भीतर किया जावेगा।
2. आवेदक द्वारा परीक्षण कार्य हेतु निर्धारित शुल्क रू. 1000/– (रू. एक हजार मात्र) प्रति यंत्र की दर से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय में जमा किया जावेगा।
3. यंत्र का परीक्षण किसी एक कृषि यंत्री कार्यालय द्वारा ही किया जावेगा।
4. परीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले यंत्र का तकनीकी विवरण, डिजाईन आदि निर्मित किये जाने वाली तथा अनुदान पर वितरित की जाने वाली मशीन से भिन्न नहीं होना चाहिये।
5. आवेदन के साथ परीक्षण हेतु प्रस्तावित यंत्र/मशीन की इंजीनियरिंग ड्राईंग, अवयवों के स्पेसिफिकेशन तथा अवयवों के की सूची तीन प्रतियों में जमा करना होगा।
6. यंत्रों के फील्ड परीक्षण हेतु आवश्यक खाद/बीज/दवा आदि का व्यय भार आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
7. आवेदक यदि चाहे तो परीक्षण कार्य के दौरान अपना घोषित प्रतिनिधि भेज सकता है।
8. यदि यंत्र के फील्ड कार्य निष्पादन हेतु विभागीय ट्रैक्टर अथवा पावर टिलर का उपयोग किया जाता है। तो इसका व्यय भार शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
9. यदि ट्रैक्टर के किसी मॉडल विशेष को मैचिंग यंत्र का परीक्षण कराया जाना हो और विभाग वह मॉडल उपलब्ध न हो तो ट्रैक्टर की व्यवस्था आवेदक द्वारा करायी जावेगी।
10. परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये यंत्र/मशीन में हुयी टूट–फूट का व्यय भार आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
11. परीक्षण समिति द्वारा यंत्र का फील्ड कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर यथायोग्य सुधार हेतु आवेदक को सुझाव दिया जावेगा। फील्ड कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही परीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जा सकेगा।
12. यदि यंत्र में किसी वृहद (Major) सुधार की आवश्यकता हो अथवा यंत्र छ.ग. राज्य हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो आवेदक उक्त यंत्र को वापस प्राप्त कर सकेगा तथा उचित सुधार उपरांत पुनः परीक्षण शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।
13. समिति द्वारा जारी परीक्षण प्रतिवेदन परीक्षण समिति के सभी सदस्यों द्वारा नाम व पदनाम सहित हस्ताक्षरित होना चाहिये। साथ में यंत्र की इंजीनियरिंग ड्राईंग, स्पेसिफिकेशन तथा विभिन्न अवयवों के Material of Construction की समिति द्वारा अभिप्रमाणित सूची प्राप्त करेगा।
14. उक्त परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर ही कृषि विभाग की नीति अंतर्गत संचालनालय स्तर पर यंत्रों के प्रदायकों का पंजीकरण किया जा सकेगा।
15. परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अनुमोदित ड्राईंग एवं स्पेसिफिकेशन के यंत्र ही कृषकों को विभागीय अनुदान योजनाओं में वितरित किये जावेंगे। इससे पृथक स्पेसिफिकेशन के यंत्र के प्रदाय की जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित प्रदायक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
16. परीक्षण समिति द्वारा जारी परीक्षण प्रतिवेदन छ.ग. राज्य की विभिन्न विभागीय योजनाओं हेतु ही मान्य होगा।
17. परीक्षण उपरांत यंत्र वापस प्राप्त किये जाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। यंत्र वापस प्राप्त करने में 1 माह से अधिक विलंब की स्थिति में संबंधित कृषि यंत्री द्वारा अधिभार लगाया जा सकेगा। जिसे आवेदक द्वारा भुगतान किया जावेगा।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

कृषि यंत्री

....